

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): उज्जैन

P.S. (थाना): चिमन गंज मंडी

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0250

Year (वर्ष): 2018

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 04/03/2018 13:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	म. प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956	292 (C)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शनिवार  
Date From (दिनांक से): 10/02/2018  
Date To (दिनांक तक): 10/02/2018  
Time Period (समय अवधि): पहर 1  
Time From (समय से): 00:00 बजे  
Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/03/2018  
Time (समय): 12:51 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 021

Date & Time (दिनांक और समय): 04/03/2018 12:51

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 02 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम खिलचीपुर उज्जैन

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

1

प्रमाणित प्रतिलिपि

✓ थाना प्रभारी  
पुलिस थाना चिमन गंज मंडी

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री नरेश जैन

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1981

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	उपयंत्री कालोनी सेल नगर पालिक ,गिगम उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	उपयंत्री कालोनी सेल नगर पालिक ,गिगम उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9406801101

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	संजय		पिता का नाम : सत्यनारायण	1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत


2	अर्चना			1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
---	--------	--	--	------------------------------------

3	नीलम			1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
---	------	--	--	------------------------------------

4	संगीता गौरी		पिता का नाम : सत्यनारायण	1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
---	-------------	--	-----------------------------	------------------------------------

2

प्रमाणित प्रतिलिपि

  
धनराज गौरी  
निर्देशक, पुलिस अधीक्षक, उज्जैन

5	लक्ष्मीबाई		पति का नाम : सत्यनारायण सरपरस्त माता स्वयं	1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
6	चंद्र			1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
7	चंदा			1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
8	लता			1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
9	श्यामा			1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत
10	कमलाबाई		पिता का नाम : बदीलाल	1. उज्जैन ,उज्जैन,मध्य प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना चिमनगंजमंडी उज्जैन पर उनि के पद पर पदस्थ हूँ। आज श्री नरेश जैन उपयंत्री कालोनी सेल नगर पालिक निगम उज्जैन के द्वारा आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम उज्जैन म.प्र. का पत्र 176 उज्जैन दिनांक 27.02.18 का पत्र आरोपीगण 1. संजय पिता सत्यनारायण, 2. अर्चना, 3. नीलम, 4. संगीता गौरी पिता सत्यनारायण, 5. लक्ष्मी बाई वि. सत्यनारायण सरपरस्त माता स्वयं, 6 चंद्र, 7 चंदा, 8 लता, 9 श्यामा, 10 कमलाबाई पिता बदीलाल निवासी खिलचीपुर उज्जैन के विरुद्ध धारा म.प्र. नगर पालिका (कलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 तथा म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 का धारा 292(ग) के तहत प्रथम सूचना पत्र लेख करने वांछित प्रस्तुत किया। प्राप्त आवेदन पत्र उक्त आरोपीगण


3

प्रमाणित प्रतिलिपि

थाना प्रभारी  
उज्जैन थाना चिमनगंजमण्डी

के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाता है। नकल आवेदन पत्र निम्नानुसार है कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन म. प्र. क्रमांक 176/ उज्जैन दिनांक 27.2.18 प्रति, थाना प्रभारी थाना चिमनगंजमंडी उज्जैन, विषय ग्राम खिलचीपुर में गुलमोहर नामक अवैध कालोनी काटने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराने बाबत। विषयांकित क्रम में लेख है कि ग्राम खिलचीपुर उज्जैन जिला उज्जैन के सर्वे क्रमांक 133/2, 238, 239, 240, 241, 242/2, 244/2, 245/2, 246, 247 कुल कित्ता 10 कुल रकवा 3.549 हेक्टेयर भूमि जो कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिये आरक्षित है उस पर अवैध कालोनी के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग घटिया जिला उज्जैन के द्वारा तहसीलदार तहसील घटिया से जांच करवाई जाकर तहसीलदार, तहसील घटिया की जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक रीडर/2018/135 दिनांक 16.02.18 एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10.2.18 पंचनामा, खसरा बी1 एवं पी 2 संलग्न कर उनके द्वारा पत्र क्रमांक रीडर/2018/143 दिनांक 19.02.18 से संबंधित भूमि स्वामियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराने हेतु लिखा गया है। उक्त पत्र एवं उसके संलग्न मूल अभिलेखों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। अतः उपरोक्त के क्रम में नगर निगम सीमा उज्जैन के ग्राम खिलचीपुर उज्जैन जिला उज्जैन के सर्वे क्रमांक 133/2, 238, 239, 240, 241, 242/2, 244/2, 245/2, 246, 247 कुल कित्ता 10 कुल रकवा 3.549 हेक्टेयर भूमि जो कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिये आरक्षित है पर संजय (नाबा) पिता सत्यनारायण, अर्चना, नीलम, संगीता गौरी पिता सत्यनारायण, लक्ष्मी बाई वि. सत्यनारायण सरपरस्त माता स्वयं, चंद्र, चंदा, लता, श्यामा, कमलाबाई पिता बदीलाल निवासी खिलचीपुर उज्जैन के द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति के एवं बिना कालोनाईजर लायसेंस प्राप्त किये एवं भूमि का परिवर्तन कराये गुलमोहन कालोनी नामक अवैध कालोनी निर्माण करने के उद्देश्य से भूमि का उपविभाजन कर भू खंडों के रूप में बेचने की चेष्टा से भूमि पर मुरम से अवैध रूप से सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा किया जा रहा उक्त कार्य म. प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 तथा म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग घटिया के पत्र एवं तहसीलदार तहसील घटिया के जांच के आधार पर अवैध कालोनी काटने वाले संजय (नाबा) पिता सत्यनारायण, अर्चना, नीलम, संगीता गौरी पिता सत्यनारायण, लक्ष्मी बाई वि. सत्यनारायण सरपरस्त माता स्वयं, चंद्र, चंदा, लता, श्यामा, कमलाबाई पिता बदीलाल निवासी खिलचीपुर उज्जैन के विरुद्ध म. प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 तथा म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न उपरोक्तनुसार मूल अभिलेख, एस.डी. अंग्रेजी में (डा. विजय कुमार जे.) आई. ए. एस. आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन, निरंतर 2 प्रतिलिपि क्रमांक उज्जैन दिनांक 1 कलेक्टर जिला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।, 2 पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ, 3 श्री नरेश जैन, उपयंत्री कालोनी सेल नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर थाने से संपर्क कर एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पालनार्थ मो.न.9406801101 एस.जी. आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन। नोट रिपोर्ट से मामला धारा म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) का पाया जाने से अपराध कायम कर अनुसंधान में लिया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि



डिप्टी कमिश्नर

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।) or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation: LILYAN MALVIYA(SI (Sub-Inspector)) / 111  
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):  
No.( सं.):  
Rank (पद):

to take up the investigation  
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):  
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

प्रमाणित प्रतिलिपि

शान्ता प्रभारी  
पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी